

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] No. 594] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 828(अ).—केंद्रीय सरकार, यानहरण निवारण अधिनियम, 2016 (2016 का 30) की धारा 20(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यानहरण निवारणनियम, 2017 है।
- (2) ये यानहरण निवारण अधिनियम, 2016 (2016 का 30) के प्रारंभ की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये सम्पूर्ण भारत पर विस्तारित हैं और निम्न पर भी लागू होते हैं (जब तक कि प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न हो),–
 - (क) भारत में रजिस्टीकृत वायुयान पर सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों;
 - (ख) उन सभी वायुयानों पर सवार व्यक्तियों पर, जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हों।
- (4) ये नियम अभिसमय देश में रजिस्टीकृत वायुयान और पट्टे, चार्टर या वायुयान के अंतर परिवर्तन के करार के अनुसरण में या, प्रचालक द्वारा जिसका मूल कारबार स्थल हो, कोई समरूप ठहराव या यदि उसका कोई कारबार स्थल न हो, तो भारत में उसका स्थायी निवास स्थल पर भी लागु होगा।
- (5) उप-नियम (4) में उल्लिखित विमान के इन नियमों के लागू होने की सीमा भारत सरकार और अभिसमय देश के बीच करार के अनुसार होगी।
- 2. **वायुयान की राष्ट्रीयता.–** वायुयान को उस देश की राष्ट्रीयता धारण करने वाला माना जाएगा जिसके रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि हुई है ।
- 3. परिभाषाएं.- (1) इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से यानहरण निवारण अधिनियम, 2016 (2016 का 30) अभिप्रेत है;

- (ख) "नामनिर्दिष्ट न्यायालय" से यानहरण निवारण अधिनियम, 2016 की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट न्यायालय अभिप्रेत है;
- (ग) ''विशेष न्यायालय'' से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अधीन या, धारा 22 के अधीन,जैसा भी मामला हो, के अधीन गठित विशेष न्यायालय से है ।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जैसे अधिनियम में उन्हें निर्धारित किया गया है ।
- 4. निरीक्षण.- (1)अधिसूचना द्वारा इस संबंध में लिखित में विशिष्ट या विशेष आदेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी युक्तिसंगत समय पर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर अभिलेखों या रिकार्डों का निरीक्षण कर सकता है।
- (2) इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को उपकरणों, रिकार्डों, दस्तावेजों सहित एयरोड्रम के किसी भाग या किसी अन्य सुविधा में पहुंच प्राप्त होगी और उसे उपरोक्त उपनियम (1) में संदर्भित अनुसार अन्वेषण करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा।

[फा. सं.एवी. 11012/11/2016-एएस]

उषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

- **G.S.R. 828(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Anti-Hijacking Act, 2016 (30 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- 1. **Short title, and commencement.-** (1) These rules may be called the Anti-Hijacking Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of commencement of the Anti-Hijacking Act, 2016 (30 of 2016).
- (3) They extend to the whole of India and apply (unless the contrary intention appears),—
 - (a) to persons on aircraft registered in India wherever they may be;
 - (b) to persons on all aircrafts which are in or over India for the time being.
- (4) These rules shall also apply to aircraft registered in a Convention country and operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business, or, if he has no such place of business, his permanent residence in India.
- (5) The extent of application of these rules to the aircraft referred in sub-rule (4) shall be as per the agreement between the Government of India and the Convention country.
- 2. **Nationality of aircraft.**-An aircraft shall be deemed to possess the nationality of the State on the register of which it is entered.
- 3. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Anti-Hijacking Act, 2016 (30 of 2016);
 - (b) "Designated Court" means the Court specified under section 8 of the Anti-Hijacking Act, 2016;
 - (c) "Special Court" means the Special Court constituted under section 11 or under section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008, as the case may be.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 4. **Inspection.-** (1) Any person, authorised by the Central Government by notification, or through a specific or special order in writing in this behalf, may at all reasonable times, enter any place to which access is necessary to inspect and carry out investigation, and inspect documents or records to verify for the purpose of investigation.

(2) The person so authorised, shall have access to any part of the aerodrome or any other facility, including equipment, records, documents and shall have co-operation from all concerned authorities in conducting the investigation as referred in sub-rule (1).

[F. No. AV.11012/11/2016-AS] USHA PADHEE, Jt Secy.